EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 49—51

Dated : 25-01-2014

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(केन्द्रीय बायलर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 8.—भारतीय बायलर विनियम, 1950 के कतिपय प्रारूप विनियमों में और संशोधन करने के लिए बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 11 मई, 2013 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) (केन्द्रीय बायलर बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 120, तारीख 1 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से पैंतालिस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 अगस्त, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय बायलर बोर्ड, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बायलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन के पश्चात् को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 382 के उप-विनियम (क) में, सुभिन्न अक्षरों के साथ राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची में, —

(क) "आंध्र प्रदेश एपी" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अरुणाचल प्रदेश एआरपी";

(ख) "हिमाचल प्रदेश एचपी" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"झारखंड जेएच";

(ग) "मेघालय एमएल" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मिजोरम एमजेड";

(घ) "राजस्थान आरजे" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सिक्किम एसके";

(ङ) "उत्तरांचल यूआर" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उत्तराखंड यूआर"।

[फा. सं. 6(14)/2011-बायलर्स]

टी. एस. जी. नारायणन, सचिव, केन्द्रीय बायलर बोर्ड

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में का.आ. 600, तारीख 15 सितंबर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए, और सा.का.नि. 195, तारीख 28 अक्तूबर, 2010 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Central Boilers Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

G.S.R. 8.—Whereas certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by sub-section (l) of section 31 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India dated the 11th May, 2013, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) (Central Boilers Board), vide number G.S.R. 120, dated the 1st May, 2013 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th August, 2013;

And whereas, no objections or suggestions have been received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force after final publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 382, in sub- regulation (a), in the list of States and Union Territories with their distinguishing letters, —

(a) after the entry "Andhra Pradesh AP", the following entry shall be inserted, namely :—

"Arunachal Pradesh ARP";

(b) after the entry "Himachal Pradesh HP", the following entry shall be inserted, namely :—

"Jharkhand JH";

(c) after the entry "Meghalaya ML", the following entry shall be inserted, namely :—

"Mizoram MZ";

(d) after the entry "Rajasthan RJ", the following entry shall be inserted, namely :—

"Sikkim SK";

(e) for the entry "Uttaranchal UR", the following entry shall be substituted, namely :—

"Uttrakhand UR".

[F. No. 6(14)/2011-Boilers]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy., Central Boilers Board

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India, vide number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended, vide G.S.R.195, dated the 28th October, 2010.

MGIPRRND—240 C&J/2014—200 Copies.